

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6) नियमितिकरण/अलेसे-III/14

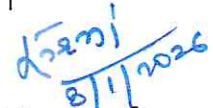
दिनांक:- 9.1.2026

आदेश संख्या : 478/2025-26

स्वर्गीय श्री सुगनसिंह, नायक (राइफलमैन 2850287) का सेवाकाल के दौरान दिनांक 10.12.1971 को निधन हो जाने के कारण उनके आश्रित पौत्र श्री चन्द्रपाल सिंह राठौड़ को राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (1)कार्मिक/क-2/18 दिनांक 09.09.2022 (राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक (शहीद) के आश्रितों को नियुक्ति नियम-2022) के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के पद पर नियुक्ति दी गई थी। श्री चन्द्रपाल सिंह राठौड़, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किया जाता हैं:-

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नम्बर	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	6	7	8	9	10
1	चन्द्रपाल सिंह राठौड़	43430	24-10-1998	24-08-2023	23-08-2025	24-08-2025	24-08-2025

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।


(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6) नियमितिकरण/अलेसे-III/14

दिनांक:- 9.1.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)